



BULANDSHAHR POLICE



दिनांक 15 नवम्बर, 2024

थाना गुलावठी

02 वर्ष से फरार हिस्ट्रीशीटर शातिर अपराधी गिरफ्तार।

जनपद में अपराधों पर अंकुश लगाये जाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 15.11.2024 को थाना गुलावठी पुलिस द्वारा एक हिस्ट्रीशीटर अपराधी को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है जो करीब 02 वर्ष से मा0 न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो रहा था। अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना गुलावठी पर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. चांद पुत्र नूर इलाही निवासी मौहल्ला पीर खां कस्बा व थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।

अभियुक्त चांद का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं- 163/07 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर ।
2. मुअसं- 14/15 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर ।
3. मुअसं- 73/15 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर ।
4. मुअसं- 165/17 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर ।
5. मुअसं- 692/17 धारा 147/332/353/504/34/188 भादवि थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर ।
6. मुअसं- 29/18 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर ।
7. मुअसं- 43/18 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर ।
8. मुअसं- 204/18 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर ।
9. मुअसं- 366/18 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर ।
10. मुअसं- 425/18 धारा 3(2) NSA थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर ।
11. मुअसं- 371/19 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर ।
12. मुअसं- 70/20 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर ।
13. मुअसं- 101/20 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर ।
14. मुअसं- 118/20 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर ।
15. मुअसं- 130/20 धारा 307 भादवि थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर ।
16. मुअसं- 131/20 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर ।
17. मुअसं- 569/20 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर ।
18. मुअसं- 87/22 धारा 307 भादवि थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर ।
19. मुअसं- 88/22 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर ।
20. मुअसं- 89/22 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर ।
21. मुअसं- 90/22 धारा 411/414 भादवि थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्रीमती सुनीता मलिक थाना प्रभारी गुलावठी
2. उ0नि0 राजवीर सिंह
3. है0का0 शमशाद, का0 अमित कुमार



मीडिया सैल बुलन्दशहर